

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 12/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- फूलपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 08-01-2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पलिया आईटीआई स्कूल के पास वहद ग्राम पलिया से अभियुक्त अतुल यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी कोहडा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 24 वर्ष को समय करीब 20-30 बजे को जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अतुल यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी कोहडा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1 आबिद शाह पुत्र मो0 नईम शाह निवासी आँधीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना

जनपद

1 09/24 3/25 आर्म्स एक्ट

फूलपुर आजमगढ़

2 143/23 20/8 एनडीपीएस एक्ट

शाहगंज

जौनपुर

3 251/20 120बी201302363504 भादवि

शाहगंज

जौनपुर

4 342/20 3/5ए/8 गोवध0नि0 अधि0

बासडीह

बलिया

5 343/20 307 भादवि

बांसडीह

बलिया

6 354/20 3(1)/2 युपी गैंगे0 एक्ट

बासडीह

बलिया

थाना कोतवाली फूलपुर

जनपद-आजमगढ़



02.थाना निजामाबाद: चोरी और छिनैती के 02 घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त चोरी के गहने व नगद रूपयों के साथ एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

थाना निजामाबाद क्षेत्र में घटित निम्नलिखित घटनाएं जिसमें अज्ञात अभियुक्त द्वारा 1. दिनांक 26.10.2024 को मुकदमा वादी बलबीर यादव पुत्र सन्तराज यादव निवासी श्यामसुन्दरपुर थाना निजामाबाद की माता मुन्नी देवी से सेमरा बाजार में स्थित दुकान पर सामान दिखाने के बहाने उनसे हाथापाई कर चैन लेकर भाग गया। जिसके संबन्ध में दिनांक 27.10.2024 को मु0अ0सं0 516/24 धारा 304(2) BNS 02. दिनांक 26.12.2024 की रात्रि में वादिनी मुकदमा सुखी देवी पत्नी रामचेत यादव ग्राम तिग्गीपुर (भिटवा) थाना निजामाबाद के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर व अन्दर अलमारी का ताला तोड़कर गहने व 5000 पांच हजार रूपये नगद चुरा ले गये, जिसके संबन्ध में दिनांक -17.12.24 को मु0अ0सं0 592/24 धारा 331(4),305 BNS पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 09.1.2025 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय व उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश आये अभियुक्त दिलीप राजभर उर्फ पत्थर पुत्र मकलू राजभर निवासी दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को चोरी गये गहने व 1000 रूपयें नकदी के साथ गन्धुवई कोल्ड स्टोर के पास से समय 07.08 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त के पास से चोरी के माल व रूपये की बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 516/24 धारा 304(2),317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 592/24 धारा 305,331(4), 317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

दिलीप राजभर उर्फ पत्थर पुत्र मकलू राजभर निवासी दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
बरामदगी-

1-चोरी के गहने व 1,000 रुपया रू0 नगद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 240/22 धारा 323,504,506 IPC थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 516/24 धारा 304(2),317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0स0 592/24 धारा 305,331(4), 317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

